न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर शिविर, भोपाल

प्र0कं0 : निगरानी...../14 सीहोर
R 3826-III/14

जगन्नाथ पुत्र स्व0श्री रामलाल खाती
निवासी–ग्राम दुर्गपुरा, तह0 इछावर,
जिला–सीहोर (म0प्र0) --- **निगरानीकर्ता**

विरूद्ध

(1) **छितियाबाई** बेवा श्री खुशीलाल खाती
(2) **रमेश** पुत्र स्व0श्री हेमराज खाती
(3) **ओमप्रकाश** पुत्र स्व0श्री हेमराज खाती
(4) **दिनेश** पुत्र स्व0श्री हेमराज खाती
निवासी–ग्राम दुर्गपुरा, तह0 इछावर,
जिला–सीहोर (म0प्र0) --- **प्रत्यर्थीगण**

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959

महोदय,

विद्वान नायब तहसीलदार महोदय, इछावर द्वारा प्र0कं0–92/अ–6/13–14 में पारित आदेश दिनाँक 09.10.2014 जिसके द्वारा उन्होंने निगरानीकर्ता की प्रारम्भिक आपत्ति निरस्त करते हुए प्रकरण आदेशार्थ नियत किया, से दुःखित एवं असंतुष्ट होकर यह निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी कं0–1 द्वारा प्रत्यर्थी कं0–2 के साथ कुसंधी कर पंजी कं0–3 द्वारा कृषि भूमि स्थित ग्राम सुनारखेड़ी तहसील इछावर खसरा कं0–6 रकबा 30.32 एकड़ एवं खसरा कं0–28 रकबा 9.90 एकड़ कुल मिला 02 रकबा 40.22 एकड़ पर विधिवत वारिसान हक में नामांतरण किया, के विरुद्ध एक समयावधि बाह्य अपील मान0 अ0वि0अ0 महोदय इछावर के समक्ष प्रस्तुत की, जो प्र0कं0–29/अपील/09–10 दर्ज होकर विधिवत आदेश दिनांक 15.03.2010 द्वारा निरस्त की गयी,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3820–तीन/2014 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–8–2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार इछावर जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 92/अ–6/13–14 में पारित आदेश दिनांक 09–10–2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ उभय पक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये। अनावेदक अभिभाषक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर तर्क किया कि प्रकरण में विचाराधीन प्रकरण कमांक 92/अ–6/13–14 उपलब्ध है। नायब तहसीलदार के जिस अंतरिम आदेश दिनांक 9–10–14 के विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई थी उसके पश्चात उक्त प्रकरण में नायब तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 15–12–14 में अंतिम आदेश पारित हो गया है। यह भी बर्क में बताया कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत कर दी है। अतः निगरानी इनफिक्चयुअस हो गई। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा इस निगरानी में चुनौतीशुदा अंतरिम आदेश के पश्चात नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 15–12–14 को अंतिम	

आदेश पारित कर दिया है तथा आवेदक द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील भी प्रस्तुत की जा चुकी है, अतः अनावेदक अभिभाषक के तर्कों से सहमत होते हुये अब इस न्यायालय में निगरानी को प्रचलन रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होने से समाप्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य